

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य
(जनवरी, 2025 और जुलाई 2025)

- बी.एल.ई.-001 : भारतीय विधि व्यवस्था का परिचय
- बी.एल.ई.-002 : कानून का परिचय
- बी.एल.ई.-003 : विधि और संवेदनशील समूह
- बी.एल.ई.-004 : ग्रामीण स्थानीय स्वशासन



विधि विद्यापीठ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110 068

अर्धविधिक व्यवहार में डिप्लोमा (डी.आई.पी.पी.)

प्रिय विद्यार्थी,

विश्वविद्यालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आपको एक सत्रीय कार्य पूरा करना है।

आप पाएंगे कि सत्रीय कार्यों में दिए गए प्रश्न विश्लेषणात्मक (analytical) और वर्णनात्मक (descriptive) हैं ताकि आप अवधारणाओं को बेहतर ढंग से जान और समझ सकें।

यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निकटतम शब्द-सीमा में होना चाहिए। स्मरण रहे कि सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखने से आपके लेखन कौशल में सुधार होगा और आप सत्रांत परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे।

सत्रीय कार्य जमा कराना

आपको अपने अध्ययन केंद्र के संचालक (Co-ordinator) के पास सत्रीय कार्य जमा कराने हैं। आपको जमा कराए गए सत्रीय कार्यों के लिए अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य लेनी चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। आप जो सत्रीय कार्य जमा कराएं, कृपया उसकी फोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखें।

मूल्यांकन करने के बाद, अध्ययन केंद्र आपको सत्रीय कार्य लौटा देगा। कृपया जाँचे गए सत्रीय कार्यों के लिए आग्रह कीजिए। अध्ययन केंद्र इग्नू स्थित विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, नई दिल्ली को अंक भेजेगा।

आपको अपने अध्ययन केंद्र में नीचे लिखे अनुसार सत्रीय कार्य जमा कराने हैं :

जनवरी के लिए 30 सितम्बर, 2025

जुलाई के लिए 30 मार्च, 2026 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश

हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा :

- 1) **योजना :** सत्रीय कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उन इकाइयों का अध्ययन कीजिए जिन पर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के संबंध में कुछ बिंदु तैयार कीजिए और फिर उन्हें तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- 2) **आयोजन** : अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करने से पहले थोड़ा चयन और विश्लेषण कीजिए। प्रश्न की प्रस्तावना (परिचय) और निष्कर्ष पर पर्याप्त ध्यान दीजिए।

यह सुनिश्चित कर लें कि :

- क) उत्तर तर्कसंगत और उपयुक्त है।
- ख) वाक्यों और पैराग्राफों का स्पष्ट मेल है।
- ग) आपकी अभिव्यक्ति में प्रस्तुतिकरण सही है।

- 3) **प्रस्तुतिकरण** : एक बार अपने उत्तर से संतुष्ट होने पर आप सत्रीय कार्य जमा कराने के लिए अंतिम रूप (पाठ) लिख सकते हैं। **अपनी लिखाई में सभी सत्रीय कार्य स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है।** यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप जिन बिन्दुओं पर जोर देना चाहते हैं, उनको रेखांकित कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि आपका उत्तर निर्धारित शब्द सीमा में होना चाहिए।

शुभकामनाओं के साथ!

कार्यक्रम संचालक (डी.आई.पी.पी.)

बी.एल.ई.-002 : कानून का परिचय

पाठ्यक्रम कोड : बी.एल.ई.-002
सत्रीय कार्य कोड : बी.एल.ई.-002 / टी.एम.ए / 2025
अधिकतम अंक : 100

निम्नलिखित में से किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कर्मचारी को उपलब्ध लाभों की चर्चा कीजिए।
2. प्रमाण के भार (burden of proof) को परिभाषित कीजिए। सिविल और अपराधिक मुकदमों में यह किस प्रकार भिन्न है?
3. उत्तराधिकार क्या है? निर्वसियतीय तथा वसियतीय उत्तराधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. दिवानीवाद को परिभाषित कीजिए। दिवानी तथा अपराधिक दायित्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
5. भारत में पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में कानून की भूमिका की चर्चा कीजिए।
6. उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध तंत्र का वर्णन कीजिए।
7. संविदा की परिभाषा दीजिए। एक वैध संविदा के लिए आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिए।
8. संयुक्त या समूह, अपराध की देयता को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों का वर्णन, निर्णय विधियों की सहायता से कीजिए।
9. सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानूनों की चर्चा कीजिए।
10. "कम्पनी" शब्द को परिभाषित कीजिए। यह साझेदारी, सीमित देयता साझेदारी और एकल स्वामित्व (limited liability partnership) से किस प्रकार अलग है?
11. अपकृत्य को परिभाषित कीजिए। अपकृत्य विधि के अंतर्गत सामान्य अपवादों की चर्चा कीजिए।
12. उच्चतम न्यायालय की अपील संबन्धि शक्तियों की चर्चा कीजिए।